कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–प्रारं/नियु प्रको/नियु–2/982/शि.भर्ती–2021–22/2021 दिनांक :– 31.12.21

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय) के पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2021–22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है:–

क्र.सं.	विज्ञापन संख्या व दिनांक	क्षेत्र	पद	विज्ञापित पदों की संख्या		कुल योग
				सामान्य शिक्षा	विशेष शिक्षा	
01	01/2021–22 दिनांकः 31.12.2021	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल–प्रथम	11500	440	11940
02	02/2021–22 दिनांकः 31.12.2021	अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल–प्रथम	3500	60	3560
03	03/2021–22 दिनांकः 31.12.2021	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल–द्वितीय	13420	445	13865
04	04/2021–22 दिनांकः 31.12.2021	अनुसूचित क्षेत्र	अध्यापक, लेवल–द्वितीय	2580	55	2635
	योग			31000	1000	32000

उक्त पदों हेतु इच्छुक आवेदक निम्नानुसार निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

1. आवेदन करने की अवधि दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 09.02.2022 के रात्रि 12:00 बजे तक रहेगी, उक्त अवधि के उपरान्त लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।
2. इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में http://recruitment.rajasthan.gov.in पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगे। विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध है।
3. ऑनलाईन आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित पद तथा *दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाडी, भूतपूर्व सैनिक, विधवा/परित्यकता श्रेणी* के विज्ञापित पदों हेतु जारी विस्तृत विज्ञप्ति, राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
4. इच्छुक आवेदक को उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक पद की योग्यता एवं पात्रता होने पर प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र भरना होगा, *ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।*
5. विषयवार विज्ञापित पदों में राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।
6. गैर अनुसूचित क्षेत्र (**Non TSP AREA**) के विज्ञाप्ति पदों के विरूद्व अनुसूचित क्षेत्र (**TSP AREA**) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदन कर सकते है।
7. अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के विज्ञापित पदों के विरूद्व केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी/सदभावी निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र है।
8. आवेदन पत्र ऑनलाईन अन्तिम रूप से SUBMIT करने के पश्चात आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (Editing) अनुज्ञेय नहीं होगा तथा Editing, गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु के लिये कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई–मित्र, जन सुविधा केन्द्र, स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई है। गलत सूचनाएं अंकित करने एव कुटरचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरूद्व कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
9. आवेदन शुल्कः–

क्र.सं.	विवरण	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग, क्रीमीलेयर वर्ग के अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग व राज्य के बाहर के समस्त वर्ग के अभ्यर्थी	100/–
2	राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	70/–
3	समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया वर्ग	60/–

नोटः–उक्त निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं शुल्क एक बार जमा होने पर वापिस नही लौटाई जायेगी।

10. पुनरीक्षित वेतनमान–2017 के पै–मेट्रिक्स के लेवल–10 के अनुसार 23700 रू. नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी अंशदायी पेंशन योजना एवं अन्य सेवा शर्ते लागू होंगे।
11. आवेदक अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नम्बर 0151–2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर